उत्तर प्रदेश शासन
वित्त ( सामान्य ) अनुभाग–3
संख्या:सा–3–1516 / दस–2008–308 / 97
लखनऊ : दिनॉक : 8 दिसम्बर, 2008

## कार्यालय – ज्ञाप

**विषय :–** वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप पुनरीक्षित / समेकित पेंशन / पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की स्वीकृत

वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 द्वारा राज्य सरकार के सिविल पेंशन / पारिवारिक पेंशन के अभिनवीकरण / पुनरीक्षण हेतु की गयी संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया है तथा तदनुसार दिनॉक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त / मृत पेंशनर एवं दिनॉक 01–10–2006 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संदर्भ में कार्यालय – ज्ञाप संख्या – सा–3–1508 / दस–2008, दिनॉक 08–12–2008 एवं कार्यालय – ज्ञाप संख्या – सा–3–1515 / दस–2008, दिनॉक 08–12–2008 निर्गत किए जा चुके है। इस संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि औसत महँगाई मूल्य सूचकांक AICPI536 तक के महँगाई राहत के समायोजन के उपरान्त निम्नलिखित तिथियों में दर्शायी गयी दरों पर महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की है।

| Date from which payble | Rate of Dearness Relief per mention |
|---|---|
| 01-01-2006 | No Derness Relief |
| 01-07-2006 | 2% of Basic Pension / Family Pension |
| 01-01-2007 | 6% of Basic Pension / Family Pension |
| 01-07-2007 | 9% of Basic Pension / Family Pension |
| 01-01-2008 | 12% of Basic Pension / Family Pension |
| 01-07-2008 | 16% of Basic Pension / Family Pension |

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दिनॉक 01–07–2006, 01–01–2007, 01–07–2007, 01–01–2008 तथा दिनॉक 01–07–2008 में स्वीकृत महँगाई राहत को तालिका में दर्शायी गयी महँगाई राहत जिसे सरकारी पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को भुगतान किया जा चुका है, को इस आदेश से अतिक्रमित करते हुए भुगतान की गयी सम्पूर्ण धनराशि को इन आदेशों के अनुसार स्वीकृत महँगाई राहत से समायोजित कर ली जायेगी।

**इस आदेश के प्रयोजन हेतु :–**

(1)– ऐसी पेंशन / पारिवारिक पेंशन सम्मिलित है जिसमें कर्मचारी की

सेवानिवृत्ति की दिनॉक 01–01–2006 के पूर्व हैं एवं जिन मामलों में पारिवारिक पेंशन दिनॉक 01–01–2006 से पूर्व स्वीकृत की गयी है तथा कार्यालय – ज्ञाप संख्या – सा–3–1515 / दस–2008, दिनॉक–08–12–2008 के अधीन दिनॉक 01–01–2006 से समेकन किया गया है।

(2)– ऐसे प्रकरणों में जिनमें सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति दिनॉक 01–01–2006 को अथवा उसके उपरान्त हुयी है एवं जिन प्रकरणों में पारिवारिक पेंशन प्रथम बार दिनॉक 01–01–2006 को अथवा उसके उपरान्त स्वीकृत हुई है जिनका निर्धारण कार्यालय – ज्ञाप संख्या–सा–3–1508 / दस–2008, दिनॉक 08–12–2008 के अनुसार किया गया है, उनमें स्वीकृत पेंशन / पारिवारिक पेंशन की मूल पेंशन एवं मूल पारिवारिक पेंशन मानी जायेगी।

1.2– महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपया के गुणांक में आगणित होगी उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जायेगा।

1.3– पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत के भुगतान के संदर्भ में यथा सेवायोजित / पुर्नयोजित पेंशनर एवं जिन मामलों में एक से अधिक पेंशनें अनुमन्य है शेष व्यवस्थाएँ पूर्ववत् रहेगी।

2– यह आदेश सभी सरकारी सिविल पेंशन / पारिवारिक पेंशनरों पर लागू होंगे।

2.1

यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकम आदि के पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

अनूप मिश्र

( अनूप मिश्र )
प्रमुख सचिव, वित्त।

**सेवा में,**

उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व से निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।